काना बनाम छूड़ा दावा मु.न. 136/17

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
17.01.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 8 व 9 की सम्मन तामील पूर्व में सम्यक रूप से हो चूकी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी नम्बर 10 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उपस्थित होकर पक्षकारान के सहमत होने तथा सरकार के औपचारिक पक्षकार होने बाबत अवगत कराया। प्रकरण में वकील वादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते। अतः साक्ष्य वादी बन्द की जाती है। प्रकरण में वकील वादी ने आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अवगत कराया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 299 रकबा 2.81 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 85 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा अवस्थित तन् ग्राम कृष्णनगर पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित होकर खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 295, 297 कुल किता 2 कुल रकबा 2.92 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 85 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा अवस्थित तन् ग्राम कृष्णनगर पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित होकर खातेदारी हिस्सा 73/146 दर हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 1 एंव हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के पति–पिता स्वर्गीय कानाराम पुत्र छोटूराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी अपने बुजुर्गान के समय से ही अपनी भूमि 11 बीघा 14 बिस्वा अर्थात क्षेत्रफल 2.9250 हैक्टर पर काबिज काश्तकार चला आ रहा है। सैटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही से वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का रकबा नये खसरा नम्बर 299 का कम करके प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि नवीन खसरा नम्बर 295, 297 में वादी की भूमि का	श्रीमान जी निर्देश है पक्षकार सहमत है अ.प. तत्काल औपचारिक पक्षकार को निर्देश 17.1.18

Scanned by CamScanner

काना बनाम छूड़ा दावा मु.नं. 136/17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहलकार हुक्म की ...
	रकबा 0.1000 हैक्टर बढ़ा कर दर्ज कर दिया गया जो प्रतिवादीगण के बिना काबिज काश्त करते हुए बढ़ाया गया है। वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का रकबा 0.1000 हैक्टर जो वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 299 की पूर्वी सीमा पर कम किया जाकर प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि 295, 297 की पश्चिमी सीमा पर बढ़ाया गया है। उसको वादी अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाकर दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। जिसके अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 295 रकबा 1.49 हैक्टर, 297 रकबा 1.43 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.92 हैक्टरमें प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज खातेदारी हिस्सा 73/146 दर हिस्सा 1/2 में से 5/146 दर हिस्सा 1/2 एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के पति–पिता कानाराम पुत्र छोटूराम के नाम दर्ज खातेदारी हिस्सा 1/2 अर्थात 146/292 दर हिस्सा 1/2 में से 5/146 दर हिस्सा 1/2 की खातेदारी वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस को पुराने राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के मन में गलत रूप से बढ़े हुये रकबे के आधार पर बेईमानी पैदा हो गई है तथा प्रतिवादीगण उक्त गलत तरीके से बढ़े हुये रकबे की आड़ में वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर जोर जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने व कब्जा करने पर उतारू होने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन वकील वादी ने किया है। हमने वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात् व पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा दिनांक 26.09.2017 एंव 23.10.2017 इत्यादि का अवलोकन किया गया।	

काना बनाम [illegible] दावा मु.अ. 136/17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत ईस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। जिसमें पक्षकारान् प्रतिवादीगण के द्वारा हाजिर अदालत होकर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए राजीनामा भी पेश कर तस्दीक कराया गया है। जिससे भी वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है एंव वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है।

अतः वकील वादी द्वारा पेश वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर बरूये राजीनामा दिनांक 26.09.2017 एंव 23.10.2017 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा राजीनामा दिनांक 26.09.2017 एंव 23.10.2017 को डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त एंव खातेदारी की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री मूर्तिब हो। मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 17.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner